SIDBI

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

पंजीकृत डाक से, पावती सहित

सं. 100130374/एफएए/2016-17/ए-23

15 मार्च, 2017

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
अपील सं.: 23/2016-17

श्री धर्मपाल सिंह राजपूत द्वारा अपने दिनांक 17/01/2017 के आवेदन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत दिनांक 10/03/2017 की अपील

पृष्ठभूमि :

श्री धर्मपाल सिंह राजपूत पता C/o. श्री महिपाल सिंह एडवोकेट चैम्बर नं.97, ब्लाक बी के पीछे रिकार्ड रूम के बराबर में कलैक्ट्रेट कोर्ट बुलन्दशहर 203 001 ने अपने दिनांक 17/01/2017 के आवेदन के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से 7 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह आवेदन सिडबी को दिनांक 31/01/2017 को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया गया। आवेदनुसार बिन्दु संख्या 3 से 7 की सूचना सिडबी से संबंधित न होने के कारण दिनांक 02/02/2017 को भारतीय रिजर्व बैंक को वापस प्रेषित कर दी गई तथा बिन्दु संख्या 1 व 2 जो कि मुद्रा से संबंधित है की जानकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 28/02/2017 के आदेश संख्या 2057 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी थी। आवेदन कर्ता ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उक्त आदेश से संतुष्ट ना होने के कारण उपरोक्त अपील दायर की है जिसमें अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति के आधार पर यह कहा गया है कि आवेदन के क्रम संख्या (1) व (2) से सम्बंधित प्रदत सूचनायें निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं इसलिए सभी सूचनायें धारा 6(5) के तहत नि:शुल्क उपलब्ध करायें व 30 दिनों के बाद होने वाले विलम्ब के लिए प्रतिदिन रू250/- की दर से जन सूचना अधिकारी पर धारा 20(1) व धारा 20(2) के तहत आर्थिक दण्ड अधिरोपित कर अनुशासनात्मक दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

<u>निर्णय</u> :

मामले से सम्बंधित जानकारी के आधार पर यह प्रकट है कि उक्त आवेदन आर बी आई द्वारा सिडबी को आन लाईन भेजा गया जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को 31/01/2017 को प्राप्त हुआ व उचित कार्यवाई उपरान्त आवेदन कर्ता को वांछित जानकारी दिनांक 28/02/2017 के आदेश संख्या 2057 द्वारा भेजी गई जो कि समयावधि के भीतर है । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जानकारी स्वत:स्पष्ट एवं पूर्ण है ।

मेरे विचार से केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा 28/02/2017 के आदेश के माध्यम से जो सूचना प्रदान की गई है वह पूर्ण एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समय के अन्दर है अत: अपील रद्द की जाती है ।

आदेश तदनुसार ।

श्रीमहलवार 15/3/2017

[शैलेन्द्र महलवार]

मुख्य महाप्रबंधक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी